ग्राम पंचायत ओयल, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ओयल, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत ओयल में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती किरण जसवाल	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती ममता कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत ओयल, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष	31.70
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	1.40
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.06
4)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	3.65
5)	8.2	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	1.53
6)	8.3	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.78
7)	9	उचित बिलों के बिना भुगतान करना	0.73

भाग-2

2 **वर्तमान अंकेक्षण :-**

ग्राम पंचायत ओयल, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 31.05.2024 से 07.06.2024 तक ग्राम पंचायत ओयल के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	04/2022	09/2022
2023-24	03/2024	06/2023

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध

न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत ओयल, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹4800 आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 501/2024 दिनांक 06/06/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत ओयल द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित गगरेट के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 563671 दिनांक 15/06/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत ओयल द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 488/2024 दिनांक 31/05/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण सलंग्न **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पांच रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, 14वां वित्तायोग (Offline), 15वां वित्तायोग (Online), मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना (Offline) व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2022-23	3675469.9	5594798	9270267.9	6529027.6	2741240.3
2	2023-24	2741240.3	5208373	7949613.3	4779786	3169827.3

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत ओयल के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.2024 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर शून्य था :-

1)	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	3169827.30
2)	दिनांक 31.03.2024 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**3169359.3**
3)	दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	468.00
	योग (2+3)	**3169827.30**
	अन्तर (4-1)	**00.00**

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Gagret (own & GIA)	20037063254	1776099.00
2	HDFC Gagret (MMAGY)	50100102880271	32769.00
3	HDFC Gagret (15th fc)	50100343570427	1357844.30
4	HDFC Gagret (14th fc)	50100124757942	2647.00
		योग	**3169359.3**
		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	468.00
		योग (1+2)	**3169827.30**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 488/2024 दिनांक 31/05/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPO-458 दिनांक 07/06/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹31.70 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 488/2024 दिनांक 31/05/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹3169827.30** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे

अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 488/2024 दिनांक 31/05/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPO-458 दिनांक 07/06/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 488/2024 दिनांक 31/05/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPO-458 दिनांक 07/06/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹1.40 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 488/2024 दिनांक 31/05/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPO-458 दिनांक 07/06/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर राशि **₹140351 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	111751	65000	176751	4000	172751
2023-24	172751	65000	237751	97400	140351

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण विवाह के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार

राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹6075** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	3250
2	2023-24	2825
	योग	**6075**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 496/2024 दिनांक 06/06/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPO-460 दिनांक 07/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.65 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा सलंग्न **परिशिष्ट घ** अनुसार कुल **₹364942** की सामग्री में से **₹264949** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था तथा शेष **₹99993** (364942-264949) की सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide publicity) अर्थात् कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना अपेक्षित था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 500/2024 दिनांक 06/06/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPO-460 दिनांक 07/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया

गया भुगतान नियमों के विपरीत है। अतः उक्त क्रय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

8.2 ₹1.53 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है| परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 09/2022 व 06/2023 में **₹153177** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था| इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 497/2024 दिनांक 06/06/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPO-460 दिनांक 07/06/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी| अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	विवरण	राशि(18 % GST सहित) (₹)
1	15वें वित्तायोग	9	09/22	08	2000 टाईल / पेवर @ 11.70/- प्रति पेवर	23400
2	15वें वित्तायोग	10	09/22	09	2000 टाईल / पेवर @ 13.806/- प्रति पेवर	27612

3	मनरेगा	शून्य	06/23	20	3000 टाईल / पेवर @ 13.806/- प्रति पेवर	41418
4	मनरेगा	शून्य	06/23	21	2400 टाईल / पेवर @ 13.806/- प्रति पेवर	33135
5	मनरेगा	शून्य	06/23	33	2000 टाईल / पेवर @ 13.806/- प्रति पेवर	27612
					योग	**153177/-**

8.3 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.78 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 09/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **परिशिष्ट "ड."** अनुसार **₹78330** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 498/2024 दिनांक 06/06/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPO-460 दिनांक 07/06/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: **₹78330** की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

9 उचित बिलों के बिना ₹0.73 लाख का भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 47 (2) के अनुसार दावाकर्ता को अपने दावे उचित बिल पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न शीर्षों से निम्नानुसार आपूर्तिकर्ता को सामग्री की ढुलाई हेतु ₹73151 का भुगतान किया गया था। लेकिन आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 499/2024 दिनांक 06/06/2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत ओयल के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPO-460 दिनांक 07/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्बन्धित व्यक्तियों से उचित बिल प्राप्त कर लिए जाएंगे। अतः उक्त आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान समेकित	39 09/22	-- 21/09/22	पवन कुमार गांव ओयल	ढुलाई	12084
2	15वें वित्तायोग	28 06/23	-- 30/06/23	पवन कुमार गांव ओयल	ढुलाई	5000
3	15वें वित्तायोग	22 06/23	-- 22/06/23	पवन कुमार गांव ओयल	ढुलाई	3157
4	15वें वित्तायोग	29 06/23	-- 30/06/23	पवन कुमार गांव ओयल	ढुलाई	2230
5	मनरेगा	शून्य 06/23	15 13/03/23	सुशील कुमार गांव फतहपुर	ढुलाई	12900
6	मनरेगा	शून्य 06/23	12 24/02/23	सुशील कुमार गांव फतहपुर	ढुलाई	6880
7	मनरेगा	शून्य 06/23	118 05/12/22	सुशील कुमार गांव फतहपुर	ढुलाई	5590
8	मनरेगा	शून्य	8	सुशील कुमार गांव	ढुलाई	15910

		06/23	22/12/22	फतहपुर		
9	मनरेगा	शून्य 06/23	1 15/07/22	सुशील कुमार गांव फतहपुर	ढुलाई	9400
					योग	**73151**

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 489/2024 दिनांक 31/05/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GPO-459 दिनांक 07/06/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 488/2024 दिनांक 31/05/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GPO-458 दिनांक 07/06/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म,

कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

13 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

23 JUL 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
का०/प्रति हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

3557– 3561

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)104/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत ओयल, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

23 JUL 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
का०/प्रति हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत ओयल, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	3675469.9	5594798	9270267.9	6529027.6	2741240.3
2	2023-24	2741240.3	5208373	7949613.3	4779786	3169827.3

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ओयल
वि०ख० गगरेट जिला ऊना (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत ओयल, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1378967	1179335	2558302	1474710	1083592
2	2023-24	1083592	1936319	3019911	1243344	1776567

14वां वित्तायोग (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1048444.6	20413	1068857.6	1067857.6	1000
2	2023-24	1000	1647	2647	0	2647

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1217191.3	1465411	2682602.3	1057758	1624844.3
2	2023-24	1624844.3	668467	2293311.3	935467	1357844.3

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	2928702	2928702	2928702	0
2	2023-24	0	2600975	2600975	2600975	0

मुख्य मंत्री आर्दश ग्राम योजना Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 सें 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	30867	937	31804	0	31804
2	2023-24	31804	965	32769	0	32769

15

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ओयल
वि०ख० गगरेट जिला ऊना (हि.प्र.)

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	3169827.30
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**3169359.3**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	468.00
4)	**योग (2+3)**	**3169827.30**
5)	**अन्तर (4-1)**	**00.00**

ग्राम पंचायत
वि०ख० गगरेट जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट क-'1'

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Gagret (own & GIA)	20037063254	1776099.00
	HDFC Gagret (MMAGY)	50100102880271	32769.00
	HDFC Gagret (15th fc)	50100343570427	1357844.30
	HDFC Gagret (14th fc)	50100124757942	2647.00
		योग	**3169359.3**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)**	468.00
		योग (1+2)	**3169827.30**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ओयल
वि०ख० गगरेट जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट ख

पैरा संख्या 7.1 क में संदर्भित

ग्राम पंचायत ओयल, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक **01.04.2022** से **31.03.2024** तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	111751	65000	176751	4000	172751.00
2023-24	172751	65000	237751	97400	140351.00

(लेखापरीक्षा अधिकारी) (स्था.)

परिशिष्ट 'ग'

पैरा संख्या 7.2 में सन्दर्भित

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि का विवरण

क्रम सं0	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	सुशील कुमार पुत्र शेर सिंह	24.01.2021	06.04.2022	177524	400	400	0
2	अनिल कुमार पुत्र गुरचरण सिंह	02.05.2022	19.05.2022	177539	200	200	0
3	अतुल भार्गव पुत्र अशोक भार्गव	12.05.2022	08.06.2022	177544	200	200	0
4	चमन लाल पुत्र जोगिन्दर सिंह	05.07.2019	15.06.2022	177546	400	400	0
5	योगेश कुमार पुत्र सतीश कुमार(बीपीएल)	09.08.2022	10.08.2022	177549	25	25	0
6	अमित पुत्र जनक कुमार	02.10.2022	17.10.2022	177556	200	200	0
7	विपन ठाकुर पुत्र सुखदेव सिंह	27.09.2022	21.10.2022	177569	200	200	0
8	अशवनी कुमार पुत्र जोगिन्द्र पाल	22.10.2022	21.11.2022	177577	200	200	0
9	राहुल पुत्र नेक मुहम्मद (बीपीएल)	21.11.2022	06.12.2022	177579	25	25	0
10	आनंद कुमार पुत्र सुखदेव सिंह	03.11.2020	07.12.2022	177580	400	400	0
11	गौरव रत्न पुत्र मदन लाल	04.12.2022	19.12.2022	177582	200	200	0
12	राहुल पुत्र सुभाष चंद	04.12.2022	22.12.2022	177583	200	200	0
13	साहिल कुमार पुत्र कृष्ण सिंह	04.12.2022	02.01.2023	177584	200	200	0
14	प्रिंस कुमार पुत्र रशपाल	30.01.2023	21.02.2023	177590	200	200	0
15	जीत पुत्र अशोक कुमार	17.02.2023	02.03.2023	177591	200	200	0
16	शिव कुमार पुत्र मदन लाल	02.05.2023	30.05.2023	177610	200	200	0
17	हेमंत शाह पुत्र लतीफ शाह	12.05.2023	17.06.2023	177625	400	400	0
18	मंजीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह	28.05.2023	19.06.2023	177627	200	200	0
19	राहुल पुत्र जगत पाल	03.06.2023	24.06.2023	177633	200	200	0
20	मंजीत सिंह पुत्र नारायण दास	23.06.2023	15.07.2023	177641	200	200	0
21	राहुल सिंह पुत्र मलकीत सिंह (बीपीएल)	19.06.2023	18.07.2023	177642	25	25	0
22	महावीर ठाकुर पुत्र निर्दोष कुमार	26.06.203	15.08.2023	177645	400	400	0

23	हर्षित सन्दल पुत्र लेखराज	07.12.2023	21.12.2023	177673	200	200	0
24	विनय डडवाल पुत्र पवन कुमार	20.01.2024	01.02.2024	177681	200	200	0
25	सुभाष चंद पुत्र सोमनाथ	11.02.2024	02.03.2024	177685	200	200	0
26	मुनीष कुमार पुत्र खेमनाथ	06.02.2024	05.03.2024	177687	200	200	0
27	संजीव सिह पुत्र रजिन्द्र सिंह	02.03.2024	26.03.2024	177892	200	200	0
28	कशिश वशिष्ट पुत्र अरूण कुमार	07.03.2024	26.03.2024	650805	200	200	0
	कुल योग				6075	6075	0

Pradhan
Gram Panchayat Dei
Dev Block Gagret Teh Ghanari
Distt Una (H.P.)

Secretary

परिशिष्ट "घ" पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना क्रय करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	टिप्पणी
1	15^{th} fc	09/22	868, 864, 865 Dtd 01.09.22	M/s Rohan Peripherals Una	Gym material.	99993	ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide publicity द्वारा किया जाना वांछित था।
2	14^{th} fc	09/22	269 to 271 01.09.22	Rudra solar Enterprises Mubarikpur	9 no. Solar Lights	127530	ग्राम पंचायत द्वारा उक्त क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के सरकारी उपक्रम हिम ऊर्जा से न करके खुले बाजार से किया गया था।
3	मनरेगा	06/23	26995 03.03.23	Krishna Stone Crusher	Sand, Agg.	25800	
4	मनरेगा	06/23	27148 13.03.23	Krishna Stone Crusher Tatehra	Sand, Agg.	19550	
5	मनरेगा	06/23	26936 24.02.23	Krishna Stone Crusher	Sand, Agg.	33062	
6	मनरेगा	06/23	26937 24.02.23	Krishna Stone Crusher	Sand, Agg.	29072	
7	मनरेगा	06/23	27147 28.02.23	Krishna Stone Crusher	Sand, Agg.	4215	
8	15^{th} FC	06/23	27507 29.03.23	Krishna Stone Crusher	Sand, Agg.	11580	
9	15^{th} FC	06/23	27510 29.03.23	Krishna Stone Crusher	Sand, Agg.	8455	
10	15^{th} FC	06/23	28052 11.05.23	Krishna Stone Crusher	Sand, Agg.	4070	
11	15^{th} FC	06/23	28054 12.05.23	Krishna Stone Crusher	Sand, Agg.	1615	
					योग	**364942**	

(Dev Raj)
Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/2024 के माह 09/2022 व 06/2023 दौरान पंचायत ओयल द्वारा निर्माण कार्य पर प्रयोग की गई सामग्री(रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि) के कय बारे सूची

परिशिष्ट 'ङ'

पैरा संख्या 8.3 में सन्दर्भित

कम संख्या	योजना	कार्य का नाम	बिल संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्युबिक मीटर में)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा टनो में	दर प्रति टन	देय रायल्टी
1	15वा वितायोग	निर्माण रास्ता गुरपाल के घर से लिंक रोड तक वार्ड न0 7	2015 दिनांक 15.03.2022	श्री रूद्रा स्टोन कैशर	रेत	2.83	1.62	4.5846	80	366.768
2	15वा वितायोग	निर्माण रास्ता गुरपाल के घर से लिंक रोड तक वार्ड न0 7	2015 दिनांक 15.03.2022	श्री रूद्रा स्टोन कैशर	बजरा	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
3	15वा वितायोग	मुरम्मत रास्ता लिंक रोड से सुरेन्द्र के घर तक	27507 दिनांक 29.03.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	रेत	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
4	15वा वितायोग	मुरम्मत रास्ता लिंक रोड से सुरेन्द्र के घर तक	27507 दिनांक 29.03.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	बजरी	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
5	15वा वितायोग	मुरम्मत रास्ता लिंक रोड से सुरेन्द्र के घर तक	27507 दिनांक 29.03.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	बजरा	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
6	15वा वितायोग	निर्माण शौचालय लडके लडकियों के लिए जी0एस0एस0एस0 ओयल	27510 दिनांक 29.03.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	रेत	7.08	1.62	11.4696	80	917.568
7	15वा वितायोग	निर्माण शौचालय लडके लडकियों के लिए जी0एस0एस0एस0 ओयल	27510 दिनांक 29.03.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	बजरी	4.24	1.52	6.4448	80	515.584
8	15वा वितायोग	निर्माण पेयजल टंकी नजदीक आबादी रणजीत सिंह	28052 दिनांक 11.05.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	रेत	2.83	1.62	4.5846	80	366.768
9	15वा वितायोग	निर्माण पेयजल टंकी नजदीक आबादी रणजीत सिंह	28052 दिनांक 11.05.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	बजरी	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
10	15वा वितायोग	निर्माण शौचालय सराय वार्ड न0 3	28054 दिनांक 12.05.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	रेत	1.41	1.62	2.2842	80	182.736
11	15वा वितायोग	निर्माण शौचालय सराय वार्ड न0 3	28054 दिनांक 12.05.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	बजरी	0.7	1.52	1.064	80	85.12
12	मनरेगा	निर्माण रास्ता अर्चना कुमारी से मेन रोड तक	26936 दिनांक 24.02.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	रेत	19.82	1.62	32.1084	80	2568.672
13	मनरेगा	निर्माण रास्ता अर्चना कुमारी से मेन रोड तक	26936 दिनांक 24.02.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	बजरी	31.15	1.52	47.348	80	3787.84
14	मनरेगा	निर्माण रास्ता अर्चना कुमारी से मेन रोड तक	26937 दिनांक 24.02.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	रेत	16.99	1.62	27.5238	80	2201.904
15	मनरेगा	निर्माण रास्ता अर्चना कुमारी से मेन रोड तक	26937 दिनांक 24.02.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	बजरी	28.32	1.52	43.0464	80	3443.712
16	मनरेगा	निर्माण रास्ता अर्चना कुमारी से मेन रोड तक	27147 दिनांक 28.02.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	बजरा	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
17	मनरेगा	खेल के मैदान की चारदीवारी समतलीकरण व पौधारोपण	26995 दिनांक 03.03.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	रेत	14.16	1.62	22.9392	80	1835.136
18	मनरेगा	खेल के मैदान की चारदीवारी समतलीकरण व पौधारोपण	269965 दिनांक 03.03.2023	कृष्णा स्टोन कैशर	बजरा	28.32	1.52	43.0464	80	3443.712

19	मनरेगा	खेल के मैदान की चारदीवारी समतलीकरण व पौधारोपण	27148 दिनांक 13.03.2023	कृष्णा स्टोन क्रैशर	रेत	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
20	मनरेगा	खेल के मैदान की चारदीवारी समतलीकरण व पौधारोपण	27148 दिनांक 13.03.2023	कृष्णा स्टोन क्रैशर	बजरा	22.65	1.52	34.428	80	2754.24
21	मनरेगा	निर्माण रास्ता संतसंग घर से चरण सिंह के घर तक	16 दिनांक 22.06.2022	AV Construction	रेत	14.16	1.62	22.9392	80	1835.136
22	मनरेगा	निर्माण रास्ता संतसंग घर से चरण सिंह के घर तक	16 दिनांक 22.06.2022	AV Construction	बजरा	31.15	1.52	47.348	80	3787.84
23	मनरेगा	निर्माण रास्ता संतसंग घर से चरण सिंह के घर तक	14 दिनांक 02.07.2022	AV Construction	रेत	14.16	1.62	22.9392	80	1835.136
24	मनरेगा	निर्माण रास्ता सत्संग घर से चरण सिंह के घर तक	14 दिनांक 02.07.2022	AV Construction	बजरा	31.15	1.52	47.348	80	3787.84
25	मनरेगा	निर्माण रास्ता सत्संग घर से चरण सिंह के घर तक	27 दिनांक 10.12.2022	AV Construction	रेत	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
26	मनरेगा	निर्माण रास्ता सत्संग घर से चरण सिंह के घर तक	27 दिनांक 10.12.2022	AV Construction	बजरा	28.32	1.52	43.0464	80	3443.712
27	मनरेगा	निर्माण रास्ता पुष्पा के घर से स्वां नदी तक	28 दिनांक 10.12.2022	AV Construction	रेत	22.65	1.62	36.693	80	2935.44
28	मनरेगा	निर्माण रास्ता पुष्पा के घर से स्वां नदी तक	28 दिनांक 10.12.2022	AV Construction	बजरा	39.64	1.52	60.2528	80	4820.224
29	मनरेगा	निर्माण रास्ता पुष्पा के घर से स्वां नदी तक	29 दिनांक 09.01.2023	AV Construction	रेत	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
30	मनरेगा	निर्माण रास्ता पुष्पा के घर से स्वां नदी तक	29 दिनांक 09.01.2023	AV Construction	बजरा	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
31	मनरेगा	निर्माण रास्ता मेन रोड सुखदेव के घर से स्वां नदी तक	20 दिनांक 26.11.2022	AV Construction	रेत	7.08	1.62	11.4696	80	917.568
32	मनरेगा	निर्माण रास्ता मेन रोड सुखदेव के घर से स्वां नदी तक	20 दिनांक 26.11.2022	AV Construction	बजरा	15.8	1.52	24.016	80	1921.28
33	मनरेगा	निर्माण रास्ता मेन रोड सुखदेव के घर से स्वां नदी तक	06 दिनांक 12.05.2022	AV Construction	रेत	2.83	1.62	4.5846	80	366.768
34	मनरेगा	निर्माण रास्ता मेन रोड सुखदेव के घर से स्वां नदी तक	06 दिनांक 12.05.2022	AV Construction	बजरी	14.16	1.52	21.5232	80	1721.856
35	मनरेगा	निर्माण रास्ता मेन रोड सुखदेव के घर से स्वां नदी तक	01 दिनांक 08.05.2022	AV Construction	रेत	14.16	1.62	22.9392	80	1835.136
36	मनरेगा	निर्माण रास्ता मेन रोड सुखदेव के घर से स्वां नदी तक	01 दिनांक 08.05.2022	AV Construction	बजरा	14.16	1.52	21.5232	80	1721.856
							योग	783.298	80	62663.84
							25% पेनल्टी			15665.96
							कुल योग			78329.8

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ओयल
वि॰ख॰ गगरेट जिला ऊना (हि.प्र.)